कृषि निदेशालय, बिहार

पत्र संख्या–6/स्था0 अव0कोर्ट–10/2017 /कृ0, पटना, दिनांक– , 2019

प्रेषक,

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रखंड विकास पदाधिकारी,
कुचायकोट, जिला–गोपालगंज।

विषय :– **एम0जे0सी0 नं0–1727/2017 केदार नाथ गुप्ता बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के संबंध मे।**

प्रसंग:– **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक 21.02.2019 तथा अपर महाधिवक्ता नं0–13, उच्च न्यायालय, पटना का पत्रांक–3048 दिनांक 02.04.2019**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक न्यायादेश/पत्र के सन्दर्भ में कहना है कि कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक–763 दिनांक 03.08.2017 से यह स्पष्ट है कि आवेदक श्री केदार नाथ गुप्ता सेवानिवृत्त प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुचायकोट (गोपालगंज) का संदर्भित दावा/सेवान्त लाभ का दावा पूर्णतः आपसे संबंधित है तथा श्री गुप्ता के दावों का भुगतान भी स्वयं आपके ही द्वारा किया जाना है। आप कृषि विभाग के अधीनस्थ कार्यालय प्रधान भी नहीं हैं, बल्कि आप ग्रामीण विकास विभाग के अधीनस्थ हैं। ऐसी स्थिति में आवेदक श्री गुप्ता के दावों पर विचार करने के लिए तथा निर्णय लेकर भुगतान करने के लिए आप स्वयं सक्षम प्राधिकार हैं।

उपरोक्त स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित प्रासंगिक न्यायादेश का अनुपालन करते हुए तत्संबंधी स्थिति से माननीय उच्च न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने अथवा कारण पृच्छा दायर करने इत्यादि के लिए आप स्वयं सक्षम प्राधिकार हैं।

अतः वर्णित उपरोक्त स्थिति में आग्रह है कि कृपया माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उपर्युक्त प्रासंगिक न्यायादेश तथा अपर महाधिवक्ता उच्च न्यायालय पटना के प्रासंगिक पत्र के आलोक में वांछित कार्रवाई करते हुए अविलंब माननीय उच्च न्यायालय में वांछित कारण पृच्छा दायर किया जाय।

विश्वासभाजन,
ह0/–
कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 180 कृ0, पटना, दिनांक–05-4-, 2019

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/अपर महाधिवक्ता नं0–13, उच्च न्यायालय पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने/ई–मेल करने हेतु सम्प्रेषित।

5/4/19
कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।